



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26112022-240589
CG-DL-W-26112022-240589

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2022 (अग्रहायण 5, 1944)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2022 (AGRAHAYANA 5, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	977	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1007	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3599	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	11097
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	461
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3113
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	977	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1007	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3599	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	11097
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	461
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3113
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 नवंबर 2022
संकल्प

सं. ई-11015/1/2018—हिन्दी—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15.03.1988 के का.जा. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2) के अनुसरण में, भारत सरकार ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की संरचना, कार्य तथा कार्यकाल निम्नानुसार होंगे :—

	वाणिज्य और उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
	वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य		
1.	श्री राम कृपाल यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: गोरिया टोल रोड, पटना, बिहार 800001 अस्थायी पता: 18 मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य
2.	श्री अनुराग शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: 371/12, सिविल लाइन, मंगलम, झांसी, उत्तर प्रदेश -284001 अस्थायी पता: 19, मीना बाग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
3.	श्री गोपाल नारायण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: म.नं. 8, गांव व डाकघर-जमुहार, जिला-रोहतास, बिहार -821305 अस्थायी पता: 11-ए, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य
4.	डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: 103, सुरभि कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ग्रीन रोड, लुईस वाडी, थाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400604 अस्थायी पता: 11, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 पत्राचार का पता: बंगला नं. 17, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य		
5.	श्री चिराग पासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: मंत्री जी टोला, पोस्ट- सहरवनी अलौली, खगडिया, बिहार - 851101 अस्थायी पता: 213, वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली-110011	सदस्य
6.	श्रीमती कान्ता कर्दम, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: 50, तेजगढ़ी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004 अस्थायी पता: बंगला नं. 18, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001	सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य		
7.	डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा एच-508, अजनार लैंड मार्क, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	सदस्य
अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संस्था, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी द्वारा नामित सदस्य		
8.	प्रो. कुसुमाकर पाण्डेय ए-16, अरूणा आसफ अली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067	सदस्य
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा नामित सदस्य		
9.	डॉ. मनोज कुमार कैन, 23, मोती बाग, नानकपुरा, नई दिल्ली- 110021	सदस्य
10.	डॉ. सुजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर, माँस कम्यूनिकेशन एंड मीडिया विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार, बिहार – 824236	सदस्य
11.	प्रो. (डॉ.) ए. रेणुगादेवी, 3085, अप्पास्वामी हेबिटेड, एम.आर. राधा रोड, शेरूसरी, पुदुपक्कम गांव, चैन्नई, तमिलनाडु – 603103	सदस्य
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य		
12.	पद्मश्री डॉ० कनूभाई हसमुखभाई टेलर, डिसेबल वैलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नियर श्री साई समर्थ रेजीडेंसी के पीछे, सर्दयातन स्कूल, लेकव्यू गार्डन के सामने, उमरा, सूरत, गुजरात - 395007	सदस्य
13.	श्रीमती मनीषा सिंह, एकलव्य नगर, वार्ड नं. 09, यादव फ्यूल्स के पीछे, जे. आर. बिरला रोड, सतना, मध्य प्रदेश – 485005	सदस्य
14.	श्री गोपाल शेखावत, डी विंग, चतुर्थ तल, एम्ब्रोसिया बिजनेस हब, टाइम्स स्क्वायर के पास, वीआईपी रोड, नियर वेसू, सूरत, गुजरात- 395007	सदस्य
सरकारी सदस्य		
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग		
15.	सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
16.	विशेष सचिव (लॉजिस्टिक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
17.	विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
18.	अपर सचिव (i), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
19.	अपर सचिव (ii), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
20.	अपर सचिव (iii), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव एवं राजभाषा प्रभारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य-सचिव
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग		
22.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
विभाग के संबद्ध कार्यालय एवं स्वायत्त संगठन एवं निकाय		
24.	महानियंत्रक, पेटेंट डिजाइन एवं ट्रेड मार्क का कार्यालय, मुंबई	सदस्य
25.	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय, नागपुर	सदस्य
26.	महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
27.	निदेशक, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर	सदस्य
28.	निदेशक, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे	सदस्य
29.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद, बल्लभगढ़, हरियाणा	सदस्य

30.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
31.	निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य

समिति के कार्य

समिति के मुख्य कार्य संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम में निर्धारित सिद्धांतों तथा केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों और निदेशों के कार्यान्वयन में सलाह देना है।

समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा, परन्तु:

(क)	जो सांसद इस समिति के सदस्य हैं, वे सांसद न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
(ख)	समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य होंगे।
(ग)	यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उनके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य, तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि तक के लिए सदस्य रहेंगे।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता संबंधी दरों पर यात्रा-भत्ता दिया जाएगा। उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

समिति का मुख्यालय

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

राजेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)

New Delhi, the 17th November 2022

RESOLUTION

No. E-11015/1/2018-Hindi—In pursuance of O.M. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15.03.1988 of M/o Home, Official Language Department, Government of India has decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti of Department for Promotion of Industry and Internal Trade, M/o Commerce & Industry. Composition, functions and duration of the Committee will be as under :—

	Minister for Commerce & Industry	Chairman
	Minister of State in the Ministry of Commerce & Industry	Dy. Chairman
NON-OFFICIAL MEMBERS		
Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs		
1.	Sh. Ram Kripal Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: Goriya Toll Road, Patna, Bihar-800 001 Present Address: 18, Mother Teresa Crescent Road, New Delhi-110 001	Member
2.	Sh. Anurag Sharma, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: 371/12, Civil Line, Mangalam, Jhansi, Uttar Pradesh-284001 Present Address: 19, Meena Bagh, New Delhi-110001	Member
3.	Sh. Gopal Narayan Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: House No.-8, Vill & Post-Jamuhar, Distt.-Rohtas, Bihar-821305 Present Address : 11-A, Ashoka Road, New Delhi-110001	Member
4.	Dr. Vinay P. Shahashrabuddhe, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: 103, Surabhi Co-op. Housing Society, Green Road, Louis Wadi, Thane (West), Maharashtra – 400604, Present Address : 11, Ashoka Road, New Delhi-110001 Mailing Address: Bungalow No. 17, Ferozeshah Road, New Delhi-110001	Member
Nominated by Committee of Parliament on Official Language		
5.	Sh. Chirag Paswan, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address: Mantri Ji Tola, Post-Saharabanni Aloli, Khagaria, Bihar, PIN – 851101 Present Address: 213, Western Court, Janpath, New Delhi-110011	Member
6.	Smt. Kanta Kardam, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: 50, Tejghadi, Meerut, Uttar Pradesh – 250004, Present Address: Bungalow No. 18, Ashok Road, New Delhi, PIN-110001	Member
Nominated by Central Secretariat Hindi Council, New Delhi		
7.	Dr. Pushpendra Kumar Sharma H-508, Aznar Landmark, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201010	Member
Nominated by Nagari Pracharini Sabha, Varanasi an All India Voluntary Hindi Organisation		
8.	Pro. Kusumakar Pandey A-16, Aruna Asaf Ali Road, Qutub Institutional Area, New Delhi-110067	Member
Nominated by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (Ministry of Commerce & Industry)		
9.	Dr. Manoj Kumar Kain, 23, Motibagh, Nanakpura, New Delhi-110021	Member

10.	Dr. Sujeet Kumar, Asstt. Pro., D/o Mass Communication & Media, Central University of South Bihar, Bihar-824236	Member
11.	Prof. (Dr.) A. Renugha Devi, 3085, Appaswami Habitate, MR Radha Road, Seruseri, Pudhupakam Village, Chennai, Tamilnadu-603103	Member
Nominated by Department of Official Language, M/o Home Affairs		
12.	Padmashree Dr. Kanubhai Hasmukhbhai Taylor, Disabled Welfare Trust of India, Near Sri Sai Samarth Residency, B/H Sardayatan School, Opp. Lakeview Garden, Umra, Surat, Gujarat – 395007	Member
13.	Smt. Manisha Singh, Eklavya Nagar, Ward No. 09, Behind Yadav Fuels, J. R. Birla Road, Satna, Madhya Pradesh, PIN – 485005	Member
14.	Shri Gopal Shekhawat, D Wing, 4th Floor, Ambrosia Business Hub, Near Times Square, VIP Road, Near Vesu, Surat, Gujarat-395007	Member
OFFICIAL MEMBERS		
Department for Promotion of Industry and Internal Trade		
15.	Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
16.	Special Secretary (Logistics), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
17.	Special Secretary & Financial Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
18.	Additional Secretary (i), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
19.	Additional Secretary (ii), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
20.	Additional Secretary (iii), Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
21.	Joint Secretary and Incharge Official Language, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member-Secretary
Ministry of Home Affairs, Department of Official Language		
22.	Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
23.	Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
Attached Office and Autonomous Organisation and Body of Department		
24.	Office of Controller General of Patent, Design & Trade Marks, Mumbai	Member
25.	Chief Controller of Explosives, Office of Chief Controller of Explosives, Nagpur	Member
26.	Director General, National Productivity Council, New Delhi	Member
27.	Director, Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur	Member
28.	Director, Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane	Member
29.	Director General, National Council for Cement and Building Materials, Ballabhgarh, Haryana	Member
30.	Managing Director, National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi	Member
31.	Director, National Institute of Design, Ahmedabad	Member

FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The main function of the Samiti is to render advice for implementation of the principles relating to Official Language as given in the Constitution, the decisions and directions of the Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language with regard to use of Hindi in official work.

TENURE OF THE COMMITTEE

The term of the Samiti will be Three years from the date of its reconstitution provided that :—

(a)	a member who is a member of Parliament shall cease to be the member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;
(b)	ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti;
(c)	if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

T. A. AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance on rates fixed by the Government of India from time to time.

HEADQUARTERS OF THE SAMITI

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Controller of Accounts, all Ministries and Departments of the Government of India and All State Governments, Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJESH KUMAR SINGH
Joint Secretary